न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—04/2019/223 (2019/00004)

1. श्रीमती श्रीमती मन्जूदेवी पत्नि ओमप्रकाश, जाति यादव, निवासी रेल्वे स्टेशन के सामने, चौसला, बिजयनगर, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती विमला पत्नी सत्यनारायण कंसल, जाति अग्रवाल, निवासी 3080, पलसानिया रोड़ नसीराबाद, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 12.11.2018 अंतर्गत वाद संख्या 168/2016.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री प्रदीप यादव, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 26.2.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.11.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बारापत्थर, तहसील नसीराबाद के खसरा नंबर 833, 835, 836 व 840 की आराजी वादी की क्रयशुदा है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी के सहखातेदार है जिसका विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है व बिना विभाजन हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत् विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत वाद में दिनांक 12.11.2018 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा का निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2018 एवं इसके आधार पर पारित निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2018 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपीलांट को सूचित किये बिना पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त सहिस्सेदारी की अविभाजित भूमिया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 को वाद के सम्मन जारी नही किये, ना ही कोई सूचना दी गई। अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन भूमि का बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार, नसीराबाद को आदेश दिया गया परन्तु तहसीलदार नसीराबाद के द्वारा मौके पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया जबकि अधी0न्याया0 के आदेशानुसार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा ही तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री जो पारित की गई है वह विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव के संदर्भ में अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना/नोटिस नहीं दिया गया जबकि विधि के सिद्धांत के अनुसार समस्त पक्षकारान को सूचना/नोटिस दिये जाने के उपरांत ही बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अपीलांट को खसरा नंबर 833 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 840 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 836/1 रकबा 0.12 है0 तथा रेस्पो0 संख्या 1 वादिया के पक्ष में खसरा नंबर 835 रकबा 0.15 है0 एवं खसरा नंबर 836 रकबा 0.24 है0 की भूमि के संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा प्रस्तुत किया गया है जबकि खसरा नंबर 835 जो कि हाईवे सड़क से लगता हुआ है परन्तु बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार खसरा संख्या 835 की संपूर्ण भूमि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में बंटवारा में रखी गई है जबकि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 एवं 19 (1) के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। उक्त नियमों के अनुसार खसरा नंबर 835 की आराजी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में बराबर रखनी चाहिये थी । अधी0न्याया0 द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के पारित नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2018 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जावे कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा वर्तमान जमाबदी संवत् 2072 से 2074 की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से दिनांक 17.12.2018 को प्राप्त करने पर अपीलांट को यह जानकारी हुई कि अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलांट को बिना सूचित किये अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई है । इस प्रकार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2018 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.12.2018 को हुई जिस पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2018 को ही प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 18.12.2018 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की थी जिसमें अपीलांट द्वारा बिना विभाजन कराये

विवादित आराजियात को बेचान किये जाने पर आमादा होने तथा वादिया के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने के कारण विभाजन का वाद पेश किया था । अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से वाद अंतिम रूप से डिक्री किया गया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद निर्णय दिनांक 29.5.2017 को स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् दिनांक 12.11.2018 को वाद में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की है । प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 3/2019/223 उनवान श्रीमती मन्जू देवी बनाम श्रीमती विमला व अन्य पेश की गई है जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 26.2.2021 को पारित किया जाकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को पुनः निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 के आधार पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 12.11.2018 को अंतिम डिक्री पारित की है । चूंकि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.5.2017 न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किये जाने से इसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2018 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2018 निरस्त योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2018 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.2.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर